

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
प्रशासन एवं विकास,  
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-09 दिसम्बर, 2022

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-15 के अधीन बकरी पालन की योजना (राज्य योजना) (रा.90+ला.10) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-74/प.-1/9ख/ब.पा.यो./2022-23, दिनांक-14.11.2022 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-53/2022/760/सैंतीस-2-2022/001-760 2022, दिनांक-06.06.2022 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-106-अन्य पशुधन विकास-04-बकरी पालन की योजना (राज्य योजना) (रा.90+ला.10) के अन्तर्गत निम्नलिखित मानक मदों में अवशेष धनराशि रू0-111.38 लाख (रूपये एक करोड़ ग्यारह लाख अड़तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
39-औषधि तथा रसायन	4.12
42-अन्य व्यय	12.38
43-सामग्री एवं सम्पत्ति	94.88
<b>योग-</b>	<b>111.38</b>

(रूपये एक करोड़ ग्यारह लाख अड़तीस हजार मात्र)

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
- धनराशि का कोषागार से आहरण तभी सुनिश्चित किया जायेगा जब योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों का चयन सुनिश्चित कर सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दी जायेगी।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरण हेतु, यदि जनपद स्तर पर आहरण वितरण अधिकारी हों, तो संबंधित जनपदों को आवंटित किया जाय तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त आहरण न किया जाय।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (5) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय 30प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, 30प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति (जेम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
- (6) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
- (7) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा संभावित व्यय को एक मुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार किया जाये।
- (8) विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।
- (9) किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय।
- (10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।
- (11) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में प्रशासकीय व्यय में मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (12) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07.06.2022 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

**लेखाशीर्षः 2403001060400 (बकरी पालन की योजना (राज्य योजना) (रा.90 + ला. 10) )**

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1 015	2403001060400 बकरी पालन की योजना (राज्य योजना) (रा.90 + ला. 10)	39 औषधि तथा रसायन	4,12,000 ( रुपये चार लाख बारह हजार मात्र )
2 015	2403001060400 बकरी पालन की योजना (राज्य योजना) (रा.90 + ला. 10)	42 अन्य व्यय	12,38,000 ( रुपये बारह लाख अड़तीस हजार मात्र )
3 015	2403001060400 बकरी पालन की योजना (राज्य योजना) (रा.90 + ला. 10)	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	94,88,000 ( रुपये चौरानवे लाख अठ्ठासी हजार मात्र )
<b>कुल</b>			<b>1,11,38,000</b>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

			( रूपये एक करोड़ ग्यारह लाख अड़तीस हजार मात्र )
--	--	--	---

<b>महायोग</b>	1,11,38,000 ( रूपये एक करोड़ ग्यारह लाख अड़तीस हजार मात्र )
---------------	--

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-13/2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)  
विशेष सचिव।

पू0सं0-120/2022/2316(1)/सैंतीस-2-2022/001-1(12)/2022 तद्विनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)  
उप सचिव।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।